#### महानिदेशालय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय)

अंतिम तारीख : 09.05.2016

## केऔसुब में आरक्षक / ट्रेड्समेन की भर्ती — 2016

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में वेतन बैड –1 5200–20200रु + ग्रेड वेतन 2000रु तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य तथा अनुमत्य भत्तों सहित, **नाई, मोची, रसोईया, माली, पेंटर, सफाईवाला तथा धोबी के ट्रेड में निम्नलिखित आरक्षक / ट्रेड्समेन** के अस्थाई पदों को भरने के लिए **भारतीय पुरुष नागरिकों** से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये केऔसुब. अधिनियम और नियमों के साथ–साथ बल के अन्य सदस्यों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों तथा समय–समय पर लागू अन्य अधिनियमों तथा नियमों के अंतर्गत शासित होंगे। नियुक्ति उपरान्त वे 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नए प्रवेशकर्त्ताओं के लिए लागू "नई पुनर्गिवत परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम'' के अनुरूप पेंशन संबंधी लाभों को पाने के पात्र होंगे।

प्रत्येक क्षेत्र / संक्टर में शामिल किए गए राज्य इस प्रकार हैं

पूर्वी से	क्टर	पश्चिमी सेक्टर			
1 बिह 2 झा	हार 4 रखंड 5 ड़ीसा 6 7 8	0 0 1	उत्तरी सेक्टर       11     चंडीगढ़       12     दिल्ली       13     हिमाचल प्रदेश       14     हिरयाणा       15     जम्मू—कश्मीर       16     पंजाब	23 लक्षद्वीप 24 पांडीचेरी 25 तमिलनाडू	उत्तरी पूर्वी सेक्टर  27 अंडमान निकोबार 28 अरूणाचल प्रदेश 29 असम 30 मणिपुर 31 मेधालय 32 मिजोरम
		7 48141¢	17 राजस्थान 18 उत्तराखंड 19 उत्तरप्रदेश	26 तिलंगाना	33 नागालैंड 34 सिक्किम 35 त्रिपुरा 36 पश्चिमी बंगाल

47	स्टबल / ट्रंड्	समन व	ग क्षत्र-	-वार /		वार /	श्रेणी	–वार वि	रेक्तियां	इस प्र	मकार है	:					
पद का	श्रेणी		पूर्वी सेक्ट		पाः	रचमी संव	त्टर	ভ	त्तरी सेक	टर	द	क्षणी से	टर	उत्तरी	पूर्वी से	क्टर	1
नाम		पिछली बकाया	मौजूदा	कुल	पिछली	मौजूदा	कुल	पिछली		कुल	पिछली			पिछली	मौजूदा		कुल योग
	सामान्य	0	-	-	बकाया			बकाया			बकाया			बकाया			3
	अनु.जाति	0	1	1	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	1	1	11
नाई	अ.ज.जा	<del>-</del>	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	03
.112	अ.जि.जा	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	02
		0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	04
	<b>कुल</b> सामान्य	0	2	2	0	6	6	0	6	6	0	4	4	0	2	2	20
		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
मोची	अनु.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	01
नाया	अ.ज.जा	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	03
	अ.पि.व.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	02
	कुल	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	2	0	1	1	07
	सामान्य	0	3	3	0	4	4	0	9	9	0	5	5	0	2	2	23
	अनु.जाति	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	2	2	07
रसोईया	अ.ज.जा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
	अ.पि.व.	0	2	2	0	3	3	0	4	4	0	3	3	0	1	1	13
	कुल	0	6	6	0	9	9	0	15	15	0	9	9	0	5	5	44
,	सामान्य	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	02
	अनु.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
माली	अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अ.पि.व.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	02
	सामान्य	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
	अनु.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पेंटर	अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अ.पि.व.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
	सामान्य	0	2	2	0	2	2	0	4	4	0	3	3	0	2	2	13
	अनु.जाति	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	03
सफाईवाला	अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	02
	अ.पि.व.	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0	1	1	0	0	0	07
	कुल	0	4	4	0	5	5	0	8	8	0	5	5	0	3	3	25
	सामान्य	0	2	2	0	3	3	0	3	3	0	2	2	0	2	2	12
	अनु.जाति	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	04
धोबी	अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	01
	अ.पि.व.	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0	1	1	0	1	1	08
	कुल	0 '	4	4	0	5	5	0	7	7	0	6	6	0	3	3	25
	कुल योग	0	18	18	1	27	28	0	38	38	1	25	26	0	14	14	124

## भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां

क्रमांक	पद का नाम	कुल रिक्तियां
1	नाई	2
2	रसोईया	5
3	सफाईवाला	3
4	धोबी	3
	कुल	13

#### टिप्पणी

- (1) यदि कोई उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलता है तो उस स्थिति में इनके लिए आरक्षित रिक्तियां सीधे खुले बाजार (ओपन मार्केट) के आवेदकों से भरी जाएंगी ।
- (2) यह भर्ती केवल भारतीय पुरूष नागरिकों के लिए खुली है।
- (3) ये रिक्तियां अंतिम चयन के समय बिना कोई कारण बताए परिस्थितियों के अनुसार घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती हैं। वर्तमान सरकारी आदेशों तथा गृह मंत्रालय द्वारा यथासूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध है।
- (4) ये पद अस्थाई हैं किन्तु स्थाई किए जा सकते हैं।
- (5) बल की स्थानांतरण नीति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की देश के किसी भी माग में तैनाती की जा सकती है।
- (6) वर्ष 1984 के दंगों में तथा गुजरात में वर्ष 2002 में मारे गए व्यक्तियों के आश्रित / बच्चे तथा पूर्व सैनिक किसी भी सेक्टर में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

## चेतावनी : अनुचित साधनों का प्रयोग तथा प्रतिरूपण :--

- 1) केऔसुब का प्रयास निष्पक्षता और बिना भेदभाव के प्रतिबद्ध, वफादार और उत्तम उम्मीदवारों की भर्ती करने का रहा है। इसलिए उम्मीदवारों को **"दलालों से सावधान"** रहने की सलाह दी जाती है।
- 2) किसी अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने तथा प्रतिरूपण का सहारा लेने पर उसकी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दी जाएगी तथा कानूनी प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी का प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी पर भविष्य में केऔसुब में भर्ती हेतु आवेदन देने के लिए रोक लगा दी जाएगी।
- 3) किसी तरह की कोई भी सिफारिश करने पर अभ्यर्थी को चयन से बाहर कर दिया जाएगा।
- 4) यदि कोई व्यक्ति दलाल के रूप में कार्य करता है अथवा दलाल की सहायता लेता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाएगा

## पात्रता मानदंड : सीधी भर्ती के अभ्यथियों के लिए

आयु :

18 से 23 वर्ष के बीच ।

(क) आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 01.08.2016 होगी इसमें सभी ट्रेड के उत्तर—पूर्व क्षेत्र के आवेदक भी शामिल हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य में 01.01.1980 से 31.12.1989 तक निवास करने वालों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट दिये जाने का प्रावधान है । इस श्रेणी के अन्तर्गत छूट का दावा प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को जिला मजिस्ट्रेट जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रह चुके हैं अथवा जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 तक जम्मू और कश्मीर में रहने से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

1984 के दगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रितों और बच्चों को भी अधिकतम आयु

- बच्चे अर्थात् (क) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा (ख) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित) परिवार के आश्रित सदस्य अर्थात (क) पत्नी अथवा (ख) बच्चें अथवा (ग) भाई और बहन जहां दंगों में मारा गया व्यक्ति अविवाहित हो और वे दंगों में मारे जाने के समय उस पर पूरी तरह आश्रित हो ,ऐसे मामले में 05 वर्ष की छूट प्राप्त करने के पात्र हैं। यह छूट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अतिरिक्त होंगी।
- नोट : यह विज्ञापन आरक्षक / ट्रेड्समैन (पुरूष) की भर्ती से संबंधित है। अतः 1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के पुरूष आश्रितों और बच्चों में केवल पुरूष आवेदकों पर ही विचार किया जाएगा । इस श्रेणी के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट पाने के लिए आवेदकों को इस आशय का जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्र में व्यक्ति मारा गया था, के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  - (घ) उपरोक्त के अलावा सरकारी आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष तक की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट होगी ।

#### ii) विभागीय आवेदकों के लिए :-

के औसुब के आरक्षक / ट्रेड्समैन जो वर्तमान ट्रेड को बदलना चाहते हैं इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट (सामान्य श्रेणी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनु.जा. / अनु.ज.जा. के लिए 45 वर्ष) है बशर्ते कि बल में न्यूनतम 03 वर्ष की नियमित सेवा की हो, परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी की हो, दंडरहित रिकार्ड हो तथा पूरी सेवा के दौरान न्यूनतम वार्षिक ग्रेडिंग ''औसत'' से ऊपर हो।

iii) केवल विभागीय कार्मिकों के बच्चों के लिए

सेवारत के औसुब कार्मिकों के बच्चे जो उनके साथ रह रहे हैं वे या तो अपने गृह निवास राज्य से अथवा उस राज्य से जिसमें सेवारत व्यक्ति आवेदन प्रस्तुति के समय वहां तैनात हों आवेदन कर सकते हैं। इस रियायत का लाभ उठाने के लिए उन्हें यूनिट कमांडर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा मूल निवास स्थान प्रमाण—पत्र की प्रति, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करनी होगी।

#### ब) शैक्षणिक पात्रता

#### सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए

अभ्यर्थी ने **कुशल** ट्रेड (अर्थात नाई, मोची, रसोईया, पेंटर, माली तथा धोबी) के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित कार्मिकों को वरियता दी जाएगी। **अकुशल** ट्रेड (अर्थात सफाईवाला) के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

राज्य शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के अलावा शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ **भारत सरकार की अधिसूचना** जिसमें ऐसी शैक्षणिक योग्यता केन्द्र सरकार में रोजगार हेतु मैट्रिक / दसवीं कक्षा के समकक्ष घोषित की गई हो उस अधिसूचना की प्रति संलग्न करें ।

#### ग) शारीरिक मानक

	(4) (1)(4)		
	श्रेणी	लम्बाई	सीना
(i)	सामान्य / अनु. जा व अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए (केवल नीचे (ii) में	170 सेमी.	न्यूनतम 80 सें.मी.
-	उल्लेखित को छोड़कर		05 सें.मी. के न्यूनतम फुलाब
			सहित अर्थात 80-85 सें.मी
(ii)	निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले आवेदकों के लिए मानकों में छूट		,
	(क) गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम नागालैण्ड अरूणाचल	165 सेमी.	न्यूनतम 78 सें.मी.
	प्रदेश, मणिपुर त्रिपुरा, मिजोरम मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू		05 सें.मी. के न्यूनतम फुलाब
	और कश्मीर के लेह व लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थी परन्तु परिशिष्ट—'झं'		सहित अर्थात 78–83 सें.मी
	के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुतं करने पर।		
	उपर्युक्त मानक [पैरा 2 (ग) (ii) (क), सभी श्रेणियों (अर्थात सामान्य, अन्य		
-	पिछड़ा वर्ग, अनु जाति) के लिए लागू है		
	(ख) अनुसूचित जन जातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थी	162.5 सेमी.	न्यूनतम ७६ सें.मी.
			05 सें.मी. के न्यूनतम फुलाब
			सहित अर्थात 76–81 सें.मी
	टिप्पणी : पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों में पूरी छूट है।		

#### घ) चिकित्सा मानक

- (i) **दृष्टि** : दोनों आंखो की न्यूनतम दृष्टता 6/6 और 6/9 बिना सही किए हुए अर्थात बिना चष्टमें के ।
- (ii) अभ्यर्थियों को संहत जानुओं, चपटे पैर, स्फीति शिराओं अथवा आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। वे अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त हों जो कर्तव्यों के प्रभावी पालन में बाधा पहुंचाते हैं।

#### ड़) निवास प्रमाण पत्र

- (i) किसी राज्य से जुड़े आवेदक को अपना निवासी प्रमाण-पत्र उस सेक्टर में प्रस्तुत करना है जहां वे आवेदन कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को निवास प्रमाण पत्र देने से छूट प्राप्त है। वे ग्राम सरपंच / नम्बरदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसके साथ संसदीय चुनाव क्षेत्र के चुनाव के लिए मतदाता सूची में आवेदक के नाम को दर्शाने वाली मतदाता सूची की प्रति संलग्न करेंगे।
- (ii) 1984 के दंगों में तथा गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के आश्रित तथा बच्चों को निवास प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है <u>वे अपने निवास स्थान पर विचार किए बिना किसी भी सेक्टर में आवेदन कर सकते हैं । हालांकि इसके लिए उन्हें उस जिला क्लेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से **प्रमाण पत्र प्रस्तुत** करना होगा जहां व्यक्ति मारा गया है।</u>

## 3. भूतपूर्व सैनिक आवेदकों के लिए पात्रता शर्ते

- (1) "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है;
- (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल, नौ सेना तथा वायु सेना के किसी भी रैंक (चाहे वर्दीधारी हो अथवा गैर वर्दीधारी)
   में सेवा की हो।
  - (क) जो अपने अनुरोध पर अथवा अपनी पेंशन संबंधी अविध पूरी करने पर अपने नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त अथवा कार्यमुक्त अथवा सेवामुक्त हुए हों।
  - (ख) जो रक्षा सेवाओं के कारण चिकित्सा आधार पर अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों के कारण सेवामुक्त हो तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हों ; अथवा
  - (ग) जो स्थापना में पदों की कमी होने के कारणवश सेवामुक्त किए गए हों

अथवा

(ii) जो ऐसी सेवा से नियुक्ति की एक निश्चित अविध पूरी करने के बाद उनके स्वयं के अनुरोध करने के सिवाय ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों अथवा उनको उपदान दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सेना के कार्मिक अर्थात् निरन्तर सेवा वाले पेंशनधारक भी शामिल हैं।

अथवा

(iii) ''सेना डाक सेवा'' के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं तथा जो पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में बिना प्रत्यावर्तन के सेना डाक सेवा से सेवानितृत्त हुए हैं अथवा रक्षा सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अथवा विकृति होने पर अथवा ऐसी परिस्थितियों जो उसके नियंत्रण से बाहर हो के कारण सेना डाक सेवा से सेवामुक्त हुए हों तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो।

अथवा

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 6 माह से अधिक की अविध के लिए "सेना डाक सेवा" में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों

अथवा

(v) 'क्षेत्रीय सेना'' कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता।

अथवा

- (vi) चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए अथवा सेवामुक्त तथा चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्राप्त पूर्व सैनिक।
  - (2) सेवा में व्यवधान :

पूर्वात्तर क्षेत्र के आवेदकों सिहत आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख अर्थात् 01.08.2016 को थल सेना / नौ सेना / वायु सेना से सेवा मुक्त होने की तारीख से तीन वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।

- आयुः उन्हें वास्तविक आयु में से सेवा अविध घटाए जाने की अनुमित है और परिणामी आयु इन पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । अनुसूचित जाति, अनु.ज.जाति के लिए अधिकतम आयु सीमा में और 5 वर्ष की छूट निर्धारित प्रपन्न में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी । आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि पूर्वोत्तर क्षेत्र के आवेदकों सिहत आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख अर्थात् 01.08.2016 होगी ।
  - (3) चिकित्सा श्रेणी :

सेवामुक्त होने के समय "ए" (ए.वाई.ई) अथवा शेप –। उनके पास वही चिकित्सा मानक होने चाहिए जो केऔसुब में आरक्षक / ट्रेड्समैन के पद की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित है।

- (4) सेवा मुक्ति के समय चरित्र : अनुकरणीय / बहुत अच्छा
- (5) शैक्षणिक अर्हता : मैट्रिकुलेशन या समकक्ष या सेना का प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र या वायुसेना तथा नौ सेना का समकक्ष प्रमाण पत्र ।

अन्य पात्रता शर्ते वही रहेंगी जो पात्रता मानदंडों में यथा उल्लिखित अन्यों के लिए लागू हैं।

- 4. अपात्रता
  - i) ऐसा कोई व्यक्ति
  - (क) जिसने उस व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया हो जिसका पति / पत्नी जीवित है ।

- (ख) जिसने जीवन साथी के जीवित रहते हुए किसी अन्य से विवाह किया हो अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया है, फोर्स में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि यह विवाह ऐसे व्यक्ति तथा अन्य पार्टी के लिए लागू निजी कानून के तहत अनुमत्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो उस व्यक्ति को इस नियम से छट दी जा सकती है।
- (ii) सरकारी सेवा से निष्कासन
- (iii) परिवीक्षा के दौरान के औसुब सेवा से निष्कासित होने पर
- 5. कांस्टेबल / ट्रेड्समैन के पद के लिए भर्ती स्कीम
  जिन उम्मीदवारों के आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें भर्ती के आगे के चरणों के लिए बुलाया जाएगा। नीचे (क) तथा (ख) में उल्लिखित जिन उम्मीदवारों के आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें भर्ती के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे परन्तु प्रत्येक उम्मीदवार को भर्ती में आगे प्रत्येक चरण को अवश्य पास करना होगा। किसी भी चरण में असफल होने पर उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
  - क) पात्रता परीक्षा संबंधित पदों के लिए आयु, शैक्षणिक अर्हता, लंबाई, सीना आदि जैसे पात्रता मानदंडो का सत्यापन भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञापन मं संबंधित पदों के लिए आयु, शैक्षणिक अर्हता, लंबाई, सीना आदि जैसे पात्रता मानदंडो का सत्यापन भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञापन में निर्धारित मानकों के अनुरूप अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों से किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव हेतु आरक्षण संबंधी लाम प्राप्त करने वाले आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह नोटिस में निर्धारित योग्यता के अनुरूप ऐसे आरक्षणों के लिए पात्र हैं। उनके पास भर्ती के समय अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र ऐसे आरक्षणों के लिए पात्र हैं। उनके पास भर्ती के समय अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र होने चाहिए। विज्ञापन में दिए गए अनुसार जो अभ्यर्थी लंबाई संबंधी पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए, उनपर विचार नहीं किया जाएगा।

ख) शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET)

- i) 6 मिनट और 30 सेकेण्ड में एक मील की दौड़ पूरी करनी होगी।
- ii) जो आवेदक पी.ई.टी पास कर लेंगे उन्हें शारीरिक माप तथा पात्रता मानक / दस्तावेजों के विस्तृत सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।
- iii) पी.ई.टी / पी.एस.टी पात्रता मानकों के विस्तृत सत्यापन में विफल अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें आगे की परीक्षा में जाने की अनुमति नहीं होगी।

## टिप्पणी : पूर्व सैनिकों को शारीरिक क्षमता परीक्षा से छूट है।

ग) ट्रेड परीक्षा जो आवेदक शारीरिक क्षमता परीक्षा, पी.एस.टी / शारीरिक माप तथा पात्रता मानकों के विस्तृत सत्यापन में उत्तीर्ण होंगे उन्हें नीचे दिए गए प्रत्येक पद के लिए निर्धारित ट्रेड परीक्षा के लिए भेजा जाएगा।

#### 1) नाई

- क) औजार चलाने में कुशल
- ख) बाल काटना
- ग) दाढ़ी बनाना

#### 2) मोची

- क) जूते पॉलिश करना
- र्ख) औजार चलाना
- ग) चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत व सिलाई करना

#### 3) रसोइया

- क) 100 व्यक्तियों के लिए रोटी और चावल बनाना
- ख) 100 व्यक्तियों के लिए सब्जी / दाल / सांबर / इंडली आदि बनाना
- ग्) मांस / मछली / अंडा / खीर आदि बनाना

#### 4) माली

- क) रोपण तथा उपरोपण कार्य करना
- ख) पौधों की देखभाल
- ग) बीजों और उनको उगाने के मौसम तथा सीती, वीसीती में उर्वरक की जानकारी
- घ) देशी उर्वरकों की जानकारी

#### 5) **पेंटर**

- क) रंग पेंट और रंगों का ज्ञान
- ख) साईन बोर्ड की पेंटिग
- ग) रंगाई / छपाई (ड्राईंग)

#### 6) सफाईवाला

- क) सफाई करना
- ख) शौचालय की सफाई
  - स्नानागार की धुलाई आदि

#### ग) 7) **धोबी**

- क) कपड़ों की धुलाई
- ख) सूती खाकी वर्दी पर प्रेस
- ग) गर्म, टेरीकॉट वर्दी पर प्रेस

#### (iv) वरियता / मैरिट सूची बनाना

- (क) ट्रेड परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी—वार और पद—वार एक पृथक वरियता सूची बनाई जाएगी। समान अंक प्राप्त करने पर अधिक आयु वाले आवेदक को मेरिट लिस्ट में उससे ऊपर रखा जाएगा। इसके अलावा, जब तक समाधान नहीं हो जाता तब तक लंबाई, शैक्षणिक योग्यता तथा पहले नाम की वर्णकम की स्थिति से तुलना करके समाधान किया जाएगा। जिस आवेदक की अधिक लंबाई, उच्चतर शैक्षणिक योग्यता तथा पहले नाम की पूर्व स्थिति वर्णकमानुसार होगी, उसे ऊपर रखा जाएगा।
- (ख) पूर्व सैनिकों की मेरिट सूची अखिल भारतीय आधार पर केन्द्रीकृत रूप से समेकित तैयार की जाएगी।
- v) चिकित्सा जांच : वरियता सूची बनाने के बाद, वरियता के क्रम में चुने गए (रिक्तियों की संख्या के समकक्ष ) अभ्यर्थियों को उनकी स्वस्थता का मूल्यांकन करने के लिए उन्हें विस्तृत चिकित्सा जांच के लिए भेजा जाएगा ।

#### 6. आवेदन कैसे करें

परिशिष्ट—'क' के अनुसार दिए गए प्रोफार्मा पर आवेदन के साथ 50 / —रू.(केवल पचास रू.) का अपेक्षित आवेदन शुल्क, जो नीचे कॉलम—4 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकारी के पक्ष में जारी पोस्टल आर्डर के रूप में हो तथा कॉलम—5 में यथा उल्लिखित डाक—घर में देय हो, सिहत, नीचे दिए गए आवेदन प्राप्त करने वाले संबंधित प्राधिकारियों के पास पहुंच जाना चाहिए । अनु.जाति/अनु.जन.जाति तथा पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से छूट है ।

इस अधिसूचना के साथ अपेक्षित फार्म आदि सी.आई.एस.एफ वेबसाइट www. cisf.gov.in पर उपलब्ध है।

कमांक	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसमें अभ्यर्थी निवास करता है।		निम्नलिखित अधिकारी के पक्ष में जारी किए जाने वाले अपेक्षित आवेदन शुल्क के संबंध में पोस्टल ऑर्डर	डाकघर का नाम जहां पोस्टल आर्डर देय होगा।		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	बिहार , झारखंड, उड़ीसा	उप महानिरीक्षक / केऔसुब पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय, बोरिंग रोड, पाटलीपुत्र, पटना 800013 (बिहार)	सहायक कमाण्डेन्ट / डीडीओ. केऔसुब पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय पटना	जी.पी.ओ. पटना		
2	छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र	उप महानिरीक्षक / केऔसुब पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय–1 केऔसुब कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–35 खारघर, नवी मुम्बई–410210 (महाराष्ट्र)	सहायक कमाण्डेन्ट / डीडीओ. केऔसुब (पश्चिम क्षेत्र–1) मुख्यालय मुम्बई	जी.पी.ओ. मुम्बई		
3	चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा,जम्मू—कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश	उप महानिरीक्षक / केऔसुब, उत्तरी क्षेत्र—1 मुख्यालय, केऔसुब कैम्पस, साकेत, पोस्ट—मालवीय नगर नई दिल्ली—110017 (दिल्ली)	सहायक कमाण्डेन्ट / डीडीओ. केऔसुब उत्तरी क्षेत्र–1 मुख्यालय नई दिल्ली	जी.पी.ओ. नई दिल्ली		
4	आन्ध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक, लक्षदीप, पांडीचेरी, तमिलनाडू, तेलंगाना	उप महानिरीक्षक / केंओसुब दक्षिण क्षेत्र मुख्यालय, डी—ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसंत नगर, चेन्नै—600090, (तमिलनाडु)	सहायक कमाण्डेन्ट / डी.डी.ओ. केओसुब दक्षिण क्षेत्र मुख्यालय, चेन्नै	जी.पी.ओ. चेन्नै		
5	अंडमान और निकोबार द्वीप, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल	उप महानिरीक्षक / केऔसुब केऔसुब परिसर संख्या—533, केऔसुब पूर्वी कोलकाता, टॉउनशिप कस्बा, कोलकाता—700107 (पश्चिम बंगाल)	सहायक कमाण्डेन्ट / डीडीओ. केओसुब उत्तरी पूर्वी मुख्यालय कोलकाता	जी.पी.ओ. कोलकाता		
<u>टिप्पणी</u> प्रस्तुत	प्रिट्यम बनात (प्रिट्यम बनात) <u>टिप्पणी</u> :—आवेदक को अपने आवेदन अपने निवास राज्य के समक्ष उल्लिखित स्थानों पर प्रस्तुत करने हैं। अन्य प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और वे पूरी तरह से रदद कर दिए जाएंगे।					

(क) आवेदन, उपर्युक्त पैरा—6 में दर्शाए गए अनुसार संबंधित उप महानिरीक्षक, केऔसुब के पास <u>09.05.2016</u> तक पहुँच जाने चाहिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासी आवेदन <u>16.05.2016</u> तक भेज सकते हैं। <u>निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा</u>

#### महत्वपूर्ण अनुदेश

- 1. केवल पात्र आवेदक निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन कर सकते हैं । आवेदक अधिसूचना में दिए गए सभी प्रावधानों को ध्यान में रखकर सूनिश्चित कर लें कि वह जिस आयु, शैक्षणिक अर्हता आदि के संदर्भ में आवेदन कर रहा है उसके लिए वह पात्र है ।
- 2. नाम तथा पिता का नाम, मैट्रिक प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार होना चाहिए । इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आवश्यक दस्तावेज इसके समर्थन में संलग्न करना चाहिए अन्यथा उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।
- 3. आवेदन पत्र आवेदक द्वारा स्वयं की अपनी लिखाई से भरा जाना चाहिए इसमें किसी प्रकार का सुधार यदि करना हो तो वह पठनीय हो और आवेदक द्वारा सत्यापित हो ।
- 4. आवेदन केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी में भरा जा सकता है ।
- 5. आवेदन फार्म परिशिष्टं 'क' के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत भरा हुआ हो तथा उस पर अपनी नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ विधिवत स्वयं सत्यापित करके निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपर्युक्त पैरा—6 में यथाउल्लिखित संबंधित उप महानिरीक्षक के पास 09.05.2016 तक तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासियों के मामले में दिनांक 16.05.2016 तक भेज दिया जाए । ऐसी ही फोटोग्राफ प्रवेश पत्र पर भी लगाया जाए। (परिशिष्ट—'ग')

- (क) आवेदन शुल्क के तौर पर सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 / रू. (पचास रू मात्र ) का एक रेखित अप्रतिदेय इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो उपर्युक्त पैरा–6 में दी गई तालिका के कॉलम–4 में उल्लिखित अधिकारियों के पक्ष में जारी तथा कॉलम–5 में दर्शाए गए डाक–घर में देय हो । आवेदन रद्द कर दिया इस आधार पर आवेदन शुल्क वापसी का दावा नहीं किया जाएगा । पोस्टल ऑर्डर के अलावा आवेदन–शुल्क के भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।
- (ख) अनु जाति / अनु जन जाति तथा पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आवेदन शुल्क लागू नहीं है ।
- (ग) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / बोर्ड द्वारा जारी आयु तथा शैक्षणिक अर्हता आदि का प्रमाण के तौर पर शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र (पत्रों) की फोटो प्रतियां अभ्यर्थी द्वारा विधिवत स्वयं सत्यापित करके संलग्न की जाएं ।
- (घ) अधिसूचना के **परिशिष्ट—'घ', 'ड.'** के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफोर्मा के साथ अनु.जाति / अनु. जन जाति तथा अन्य, पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां ।
- (ड.) अधिसूचना के **परिशिष्ट—'ज'** के अनुसार गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा तथा मराठी श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी लंबाई तथा सीना (चेस्ट) में छूट प्राप्त करने के लिए एस.डी.एम/तहसीलदार द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत समकक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की स्वयं—सत्यापित वास्तविक प्रति संलग्न करें।
- (च) अधिसूचना के **परिशिष्ट—'ज'** के अनुसार अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, कश्मीर तथा जम्मू कश्मीर के लेह—लद्धाख राज्यों से संबंधित आवेदक लम्बाई तथा सीना (चेस्ट) में छूट प्राप्त करने के लिए एसडीएम/तहसीलदार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत समकक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी या तो निवास स्थान प्रमाण पत्र अथवा प्रमाण पत्रों की स्वयं—सत्यापित वास्तविक प्रति संलग्न करें।
- (छ) दो लिफाफों (8×19cm के आकार का) पर घर का पता तथा दोनों पर 22 / रू (बाईस रू. मात्र ) की डाक टिकट विधिवत चिपकाई हो।
- (ज) स्वयं के हस्ताक्षर (सामने) वाली दो अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ विधिवत क्लिप करके संलग्न किए जाने अपेक्षित हैं ।
- (झ) **परिशिष्ट—'ख'** के अनुसार प्रश्नावली विधिवत भरी हुई हो तथा उस पर आवेदक के हस्ताक्षर हों ।
- (ञ) **परिशिष्ट—'ग'** के अनुसार प्रवेश--कार्ड विधिवत भरा हो तथा उस पर आवेदक के हस्ताक्षर हों ।
- (ट) विभागीय आवेदक, आवेदन फार्म पर यूनिट कमांडर से विधिवत हस्ताक्षर करवाकर उचित माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें ।
- (ठ) **परिशिष्ट—'झ'** के अनुसार सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों / स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों द्वारा वचनबद्धता फार्म प्रस्तुत किया जाए / विभागीय आवेदक यूनिट कमांडर से सेवा प्रमाण पत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत करें।
- (ड) वर्ष 1984 के दंगो तथा गुजरात में 2002 में सांप्रदायिक दंगो में **मारे गए** व्यक्तियों के बच्चों तथा आश्रितों के मामले में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र की फोटो प्रति ।
- (ढ) आयु में छूट प्राप्त करने के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्यतः 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू—कश्मीर राज्य के निवासी रहें है वे निवास स्थान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें ।
- (ण) पद से संबंधित तकनीकी अर्हता प्रमाण पत्र, यदि कोई हो तो की स्वयं-सत्यपित छाया प्रति ।
- (त) पद से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो तो की स्वयं-सत्यपित छाया प्रति ।
- (थ) अभ्यर्थी जिस सेक्टर से आवेदन कर रहें हैं ऐसे राज्य से संबंधित स्वयं-सत्यपित निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
- (द) आवेदक **परिशिष्ट**—'क' के कॉलम—5 और 6 में यह संकेत कर सकते हैं कि वे या तो सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध में से कोई एक हैं अथवा पारसी हैं।

### पूर्व सैनिक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज :

- क) सेवा-मुक्त प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
- ख) परिशिष्ट-'च' के अनुसार 'वचनबद्धता'
- 6. उपर्युक्त दस्तावेज़ों वाले लिफाफे पर इस प्रकार लिखा होना चाहिए "आरक्षक/नाई अथवा आरक्षक/मोची अथवा आरक्षक/रसोईया अथवा आरक्षक/माली अथवा आरक्षक/पेंटर अथवा आरक्षक/सफाईवाला अथवा आरक्षक/धोबी के पद के लिए आवेदन इसमें से जो भी लागू हो ।
- निर्धारित किसी भी परीक्षा में फेल होने पर अभ्यर्थी को उसी स्तर पर निकाल दिया जाएगा ।
- हन पदों का आवेदन करने वाले आवेदक को शारीरिक क्षमता जांच तथा शारीरिक मानक जांच तथा ट्रेड परीक्षा से गुजरना होगा । आवेदक को निर्धारित क्रियाकलापों की तैयारी करके अपने जोखिम पर भाग लेने के लिए तैयार होकर आना है । कंऔसुब अथवा भारत सरकार, पूरी भर्ती प्रकिया अथवा यात्रा के दौरान आवेदक को चोट लगने अथवा अन्य दुर्घटना होने पर, किसी प्रकार क्षतिपूर्ति के जिम्मेदार नहीं होंगे ।
- 9. भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि आवेदक भर्ती बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उसी दिन लिखित में एक अपील भर्ती केन्द्र के पर्यवेक्षक उप महानिरीक्षक का निर्णय अंतिम होगा । भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

- 10. चयनित अभ्यर्थी को हमारे आर.टी.सी (भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र) में बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना अपेक्षित होता है जिसके लिए उन्हें अलग से नियुक्ति पत्र भेजकर सूचित किया जाएगा । वे दो वर्ष की अविध के लिए पिरवीक्षाधीन होगें, यह अविध बढ़ाई भी जा सकती है। पिरवीक्षाधीन अविध के दौरान यदि वे किसी भी कारण से अयोग्य पाये जाते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी ।
- 11. डाक में विलंब होने पर केऔसुब (सी.आई.एस.एफ.) जिम्मेदार नहीं होगा ।
- 12. आवेदन, सरकारी फॉरमेट के अनुरूप न होने पर, अधूरी/गलत सूचना देने/अपेक्षित प्रमाण पत्र अधूरे होने/तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने/हस्ताक्षर छोड़ देने/जहां देय हो वहां फीस जमा न करने/उपयुक्त स्थान पर लगाई जाने वाली स्वयं सत्यापित फोटोग्राफ न होने पर आवेदन भर्ती प्रकिया के किसी भी स्तर पर पूर्णतया रदद कर दिया जाएगा ।
- 13. आवेदन, पिरिशिष्ट 'क' के अनुसार विज्ञापन के साथ प्रकाशित निर्धारित फॉरमेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र डबल स्पेस में टाईप किया हुआ हो अथवा हाथ से साफ सुथरा लिखा हुआ हो परन्तु फॉरमेट वैसा ही होना चाहिए जैसा प्रकाशित किया गया हो । विभाग कोई आवेदन प्रपत्र प्रदान नहीं करेगा ।
- 14. सरकारी/अर्द्ध सरकारी/सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा तथा अपने नियोक्ता की ओर से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' संलग्न करना होगा । उन्हें पिरिशिष्ट—'झ' के अनुसार एक वचनबद्धता देनी होगी।
- 15. हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा कोई प्रमाण पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी में अनुवाद के साथ विधिवत सत्यापित कर संलग्न किया जाना चाहिए अन्यथा इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।
- 16. किसी प्रकार का पक्ष प्रचार करने तथा सिफारिश करने पर आवेदक को चयन से बाहर कर दिया जाएगा।
- 17. ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा जो अनुदेशों के अनुसार न भरे गए हों अथवा आंशिक रूप से भरे गए हो तथा कोई पत्राचार भी नहीं किया जाएगा । निम्नलिखित कारणों से आवेदन रदद किए जा सकतें है :
  - (क) अपूर्ण तथा अपठनीय तथा निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत नहीं किया गया हो ।
  - (ख) अनु.जाति / अनु.जन.जाति तथा पूर्व सैनिकों को छोड़कर 50 / रू. (केवल पचास रू.) के पोस्टल ऑर्डर के बिना।
  - (ग) स्वयं के पता लिखे दो लिफॉफे पर 22/— रू. की डाक मोहर विधिवत चिपकाई न गई हो।
  - (घ) अहस्ताक्षरित / बिना तारीख / बिना फोटोग्राफ के ।
  - (इ) विधिवत स्वयं सत्यापित सभी अपेक्षित प्रमाण प्रत्रों की प्रतियां संलग्न न करना।
  - (च) कम आयु/अधिक आयु के अभ्यर्थी।
  - (छ) आवेदन प्रस्तुत करते समय अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता न होना।
  - (ज) आवेदन अंग्रेज़ी अथवा हिन्दी में न भरना तथा अभ्यर्थी द्वारा अपनी लिखाई में भरा हुआ न होना
  - (झ) अनु.जाति / अनु.जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में उचित प्रमाण पत्र न देना। प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रपत्र (जैसा कि अधिसूचना में विहित है ) में सक्षम प्राधिकारी की ओर से प्राप्त करना चाहिए।
  - (স) इस अधिसूचना में यथाउल्लिखित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त हुए आवेदन।
  - (ट) कोई अन्य अनियमितता जैसे आवेदन / दस्तावेजों आदि का विकृत तथा कटा-फटा होना।
- 18. अभ्यर्थियों को भर्ती केन्द्र पर 4—6 दिन ठहरने के लिए स्वयं व्यवस्था करके आना होगा । यात्रा तथा ठहरने के लिए कोई टीए. —डीए. स्वीकार्य नहीं है । भर्ती स्थल पर मोबाईल तथा केलकुलेटर लाना सख्त मना है।
- 19. चयन तथा नियुक्ति के बाद यदि अभ्यर्थी किसी भी कारण से अयोग्य/अपात्र माना जाता है तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी ।
- 20. कोई भी कमी जो दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच के समय पता न चल पाई हो तथा बाद के स्तर पर पता चलने / नोट किए जाने पर अभ्यर्थी उस पद के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा तथा उसे भर्ती के बाद के क्रिया—कलापों में भाग लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी तथा इस संबंध में किए गए पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- 21. महानिदेशक, केऔसुब के पास बिना कोई कारण बताए भर्ती में परिवर्तन करने अथवा रदद करने अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है ।
- 22. आरक्षक / ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए निर्धारित सभी परीक्षाओं को मात्र पास कर लेना ही अभ्यर्थियों को चयन का अधिकार प्रदान नहीं करता बल्कि उन्हें उस पद विशेष के लिए उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए मेरिट में आना होगा ।
- 23. भर्ती के विभिन्न स्तरों पर सफल होना नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि विभाग चिकित्सा जांच या इसके बाद ऐसी पूछताछ से सतुष्ट न हो जाए , जिसमें सेवा / पद की नियुक्ति हेतु आवेदक को सभी तरह से उपयुक्त पाया गया है ।
- 24. आवेदक को भर्ती के सभी स्तरों में भाग लेना है जिसके लिए वह योग्य पाए गए हैं। यदि आवेदक किसी चरण / क्रिया-कलाप जिसके लिए वह योग्य है, में अनुपस्थित रहता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।
- 25. एक से ज्यादा आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 26. केऔसुब ने पारदर्शिता अपनाकर तथा पक्षपात रहित होकर योग्य, वचनबद्ध, निष्ठावान तथा सर्वोत्तम अभ्यर्थियों की भर्ती का प्रयास किया है । अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह 'दलालों से सावधान रहें' ।
- 27. के औसुब भर्ती के बारे में और जानकारी के लिए http:www.cisf.gov.in देख सकते है ।

	केन्द्रीय	<u> औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षक / ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए आवेदन पत्र-2016</u>	
रोल		र्ो केन्द्र द्वारा दिया जाएगा)	हाल ही के खीचें
1.	जिस ट्रेड के लिए आवेदन		गए
2.	अभ्यर्थी का नाम (बड़े अक्षरों	में जैसा कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में रिकार्ड है)	स्वयंहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज
3.	पिता का नाम (बड़े अक्षरों में	जैसा कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में रिकार्ड है)	फोटो चिपकाए
4.	जन्मतिथि र्	देन महीना वर्ष	
5.	धर्म	हिंदू मुस्लिम सिक्ख इसाई बौद्ध	🗌 पारसी 📗
	अन्य (कृपया उल्लेख		
6.	क्या सरकारी आदेशों के अ अल्पसंख्यक समुदाय से संब	षित है।	पारसी
7. 8.	श्रेणी साम क्या पूर्व सैनिक हैं?	ान्य अनु. जाति अ.ज.जा अ.पि.व	हां नहीं
9.	क्या आप पहाड़ी क्षेत्र से संव	बंधित हैं?	हां 📗 नहीं 🦳
10.	क्या 1984 के दंगों तथा गुज में आते हैं	रात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों तथा आश्रितों की श्रेणी	हां नहीं
11.	क्या 01 जनवरी 1980 से 31	दिसम्बर 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू—कश्मीर राज्य के निवासी रहे थे?	हां नहीं
12. 13.	क्या आप कभी दोषी पाए गए किस राज्य से संबंधित है।	<b>₹</b> ?	हां नहीं
14.	पत्राचार के लिए पता	मकान सं0 गांव/वार्ड	
		डाकघर थाना	
		जिला राज्य	
		पिन कोड	
15.	स्थायी पता	मकान सं0 गांव/वार्ड	
		डाकघर थाना	
		जिला राज्य	
	4	पिन कोड	
16.	स्पष्ट पहचान चिन्ह्	1	
17.	शैक्षणिक अर्हता	सिविल आर्मी	·
18.	पोस्टल ऑर्डर का ब्यौरा		
19. 20	क्या आप शुल्क में छूट प्राप केवल पूर्व सैनिकों के लिए	त करने के पात्र हैं? हां नहीं	
	क) आर्मी संख्या		
	ख) रैंक		
	ग) ट्रेड		
	घ) नियुक्ति की तारीख	दिन महीना वर्ष	
	ड़) सेवामुक्ति की तारीख	दिन महीना वर्ष	
		लग	गातार पष्ट २

:: 2 :: केवल विभागीय (केऔसूब) आवेदकों के लिए. क) केऔसुब सं0 रैंक ख) ग) वर्तमान इकाई नियुक्ति की तारीख घ) परिवीक्षा अवधि पूरी होने की तारीख च) दंड के ब्यौरे बडा छोटा छ) क्या पूरी सेवा के दौरान वार्षिक ग्रेडिंग औसत से ऊपर अथवा अन्यथा रही है? नहीं पैरा 21 (क) से (छ) पर प्रस्तुत डाटा के सत्यापन के प्रमाण के तौर पर यूनिट कमांडर की सरकारी स्टेम्प सहित हस्ताक्षर केवल के औसुब कार्मिकों के बच्चों के लिए 22. क) माता / पिता की के औसुब सं0 रैंक ख) 11) नाम वर्तमान यूनिट एवं राज्य घ) माता-पिता का गृह राज्य क्या के औसूब कार्मिक का बच्चा अपने गृह राज्य से अथवा उस राज्य वह राज्य जहां से जहां उनके माता-पिता वर्तमान में तैनात हैं, आवेदन करना चाहता अपने गृह राज्य मेरी माता / पिता है (बाद के स्तर पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा) पदस्थ हैं। छ) पैरा 22 (क) से (च) तक प्रस्तुत डाटा के सत्यापन के प्रमाण के तौर पर यूनिट कमांडर के सरकारी स्टेम्प सहित हस्ताक्षर। केवल अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 23. क) कार्मिक संख्या ख) रैंक / पदनाम पूरा डाक पता (कार्यालय) सेवा की तारीख भर्ती की तारीख

24. परिशिष्ट 'ख' के अनुसार प्रश्नावली विधिवत् भरकर तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर करके आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाए। लगातार.....पृष्ट... 3.....

बडा

नहीं

छोटा

परिवीक्षा अवधि पूरी होने की

क्या पूरी सेवा के दौरान वार्षिक ग्रेडिंग औसत से ऊपर या अन्यथा

यूनिट कमांडर के सरकारी स्टेम्प सहित हस्ताक्षर।

पैरा 23 (क) से (छ) तक प्रस्तुत डाटा के सत्यापन के प्रमाण के तौर पर

तारीख दंड के ब्यौरे

रही है

ज)

25.

#### घोषणा

## (सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किया हुआ हो)

- में एतद्द्वारा प्रमाणित तथा घोषणा करता हूँ कि आवेदन में प्रस्तुत विवरण मेरे संज्ञान और विश्वास से सत्य, पूर्ण तथा सही हैं। यदि भर्ती प्रक्रिया के दौरान तथा बाद में किसी भी स्तर पर मेरी सूचना तथा उसका कोई भाग गलत तथा अशुद्ध पाया जाता है तथा मैं इस नोटिस में निर्धारित पात्रता मानदंडो पर खरा नहीं उतरता हूँ तो मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति कोई नोटिस दिए बिना स्वतः रद्द / समाप्त कर दी जाएगी तथा केऔसुब द्वारा मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती हैं ।
- 2. मैंने परीक्षा की सूचना में प्रावधानों के। ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं एतद्वारा इन पर दृढ़ रहने के लिए वचनबद्ध हूँ ।
- 3. मैं आगे यह घोषणा करता हूँ कि मै परीक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता हूं। मैंने शैक्षणिक अर्हता, आयु, श्रेणी (अनु,जाति/अनु,जन जाति./अन्य पिछड़ा वर्ग/पूर्व सैनिक) तथा आयु छूट आदि के दावे के समर्थन में प्रमाण प्रत्र की फोटो प्रतियां संलग्न की हैं।
- 4. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं आज की स्थिति के अनुसार न तो सरकारी सेवा से निष्कासित किया गया हूँ और न ही किसी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया गया हूँ ।

	र्देश विषय स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप	
થાન ગારીસ	अभ्यर्थी के बॉए हाथ के अंगूढ़े का निशान	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर न किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा i

#### केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों द्वारा हस्ताक्षारित की जाने वाली उदघोषणा

**		<del></del>	- /	A	-
	 करता हू कि मैंस				
	एस सी टी दिनांक 8/09/93 के				
घोषणा करता हूं कि मै	कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22	2/93—स्थापना (एस सी टी )	दिनांक 08/09/1993 के	कॉलम ३ तथा यथासंशो	धित भारत सरकार व
	वेभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या		ारक्षाण) दिनांक ०९/०३/२	004 तथा का.ज्ञा.सं.36033	s / 3 / 2004 स्था. (आ.
दिनांक 14.10.2008 में उ	ल्लिखित व्यक्तियों, वर्गी, (क्रीमीलेय	र ) से संबंधित नहीं हूं।			

तिथि स्थान आवेदक के हस्ताक्षर (आवेदक द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा)

## प्रश्नावली

1	क्या आपको कभी किसी न्यायलय या न्यायिक संस्थान द्वारा दोषी करार दिया गया है ।	हां / नहीं
2	क्या आपके खिलाफ न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित है ?	हां / नहीं
3	क्या आपके खिलाफ कभी कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा आपके विरूद्ध मामला लंबित है ?	हां / नहीं
4	क्या पूर्व में कभी आपके विरूद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज की गई थी ?	हां / नहीं
क)	यदि हां तो मामला संख्या और किस धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी ?	
ख)	जहां प्राथमिकी दर्ज की गई थी उस थाने का नाम ?	
ग)	क्या मामले पर आरोप पत्र जारी किया गया था अथवा एफ.आर. में रखा गया ?	
ਬ)	यदि आरोप पत्र दिया गया था तो न्यायालय के निष्कर्ष क्या थे	
8 6 1	1. दोषी	
1	2. विमुक्त	
t t t	3. समझोते के आधार पर	
E :	4. संयोजित <sub>.</sub>	
	5. कोई अन्य तो उल्लेख करें	
5	क्या आपको कभी केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया है ?	हां / नहीं
6	क्या आपको परिवीक्षा के दौरान कभी सेवा से निष्काषित किया गया है ?	हां / नहीं

यदि उपरोक्त में से किसी का भी जवाब हां है तो कृपया पूर्ण विवरण अलग पृष्ठ पर दें।

#### वचनबद्धता

肖	घोषित करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे जानकारी और विश्वास से	पूर्णतया सत्य हैं । मै
	मिथ्या या असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी को समाप्त वि	केया जाए और इसके
अलावा मेरे ऊपर विभागीय या न्यायिक	प्रक्रिया की कार्यवाई भी की जाए।	

आवेदक के हस्ताक्षर नाम पिता का नाम पता

स्थान दिनांक

## <u>प्रवेश पत्र</u>

(अलग कागज पर छापा जाये / टाईप किया जाये / लिखा जाये) (अभ्यार्थी को इस प्रवेष पत्र को प्रस्तुत किये बिना भर्ती प्रकिया में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा)

## अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए

आवेदि	त पद का नाम :			
1.	नाम	: _	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.	पिता का नाम	: _		अपने द्वारा सत्यापित
3.	पत्र व्यवहार का पता	: _		अपना हाल ही का पासपोंट आकार का
4.	दिखाई देनेवाला पहचान चिन्ह	: _		फोटो लगाएं ।
5.	जन्म तिथि	: _		
6.	क्या सामान्य / अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. संबंधित हैं ।	से : _		
7.	क्या पहाड़ी या जनजाति से संबंधित हैं।	: _		
	. अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.।५.१, ५६।७। / जनजाति य			
के सा	: अ.जा. / अ.जा.जा. / अ.पि.व, पहाडी / जनजाति वे थ अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण तथा डिस्चार्ज अ <b>ावेदन पत्र प्राप्</b>	बिुक लेव	न्र आएं।	क का हस्ताक्षर
के सा अ <b>नुक</b>	थ अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण तथा डिस्चार्ज आवेदन पत्र प्राप	बिुक लेव	न्र आएं। <u>आवेद</u>	
	थ अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण तथा डिस्चार आवेदन पत्र प्राप् मांक	बिुक लेव	न्र आएं। <u>आवेद</u>	क का हस्ताक्षर
अनुकर	थ अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण तथा डिस्चार आवेदन पत्र प्राप् मांक पद जिसके लिए आवेदन पत्र स्वीकार किया गया	बिुक लेव	<sub>ञ्</sub> आएं। <u>आवेद</u> <mark>वाले अधिकारी द्वारा भरा जायेगा</mark>	क का हस्ताक्षर
अनु <b>क</b> र 1 .	थ अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण तथा डिस्चार आवेदन पत्र प्राप् मांक पद जिसके लिए आवेदन पत्र स्वीकार किया गया	बिुक लेव	न्र आएं। <u>आवेद</u> वाले अधिकारी द्वारा मरा जायेगा	क का हस्ताक्षर
अनु <b>क</b> र 1 .	थ अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण तथा डिस्चार आवेदन पत्र प्राप् मांक पद जिसके लिए आवेदन पत्र स्वीकार किया गया	बिुक लेव	न्र आएं। <u>आवेद</u> वाले अधिकारी द्वारा मरा जायेगा	क का हस्ताक्षर
अनु <b>क</b> र 1 .	थ अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण तथा डिस्वार्ज आवेदन पत्र प्राप्त पद जिसके लिए आवेदन पत्र स्वीकार किया गया भर्ती केन्द्र का नाम व पूरा पता	बिुक लेव	न्र आएं। <u>आवेद</u> वाले अधिकारी द्वारा मरा जायेगा	क का हस्ताक्षर

आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट "घ"

	<del>जुर्जूनरा जारत जनमा जुर्जूनरा जगजात सं समावत जापरका के द्वारा प्रस्तुत किय जान वाल प्रमाण पत्र की प्रपत्र</del>
यह	प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी * पुत्र/पुत्री* श्रीपुत्र/पुत्री* श्री के श्री/श्रीमती/कुमारी * जो
जिल	/ खंडराज्य संध शासित क्षेत्रजाति से संबंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति*
	प में की गई है :-
*	संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश 1950@
*	संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950@
*	संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश 1951@
*	संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र ) आदेश 1951@
*	(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूचियाँ ( संशोधन आदेश) 1956 द्वारा यथासंशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति/जनजति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन एवं दीव (पुनर्गठन) अधिनियम 1987)
•	संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर ) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@
•••	संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित@
*	संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली ) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@
*	संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली ) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
*	संवैधानिक (पांडिचेरी ) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
*	संवैधानिक (उत्तर प्रदेश ) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967@
*	
*	संवैधानिक (गोवा, दमन एवं दीव ) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
	संवैधानिक (गोवा दमन दीव ) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
*	संवैधानिक (नागालैण्ड ) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
*	संवैधानिक (सिविकम ) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
*	संवैधानिक (सिविकम ) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
**	संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर ) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
*	संवैधानिक ( अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1990@
*	संवैधानिक ( अनुसूचित जनजाति ) आदेश संशोधन अध्यादेश, 1991@
*	संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम, 1991@
*	संवैधानिक अनु.जाति / अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
*	संवैधानिक ( अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 2002@
*	संवैधानिक ( अनुसूचित जनजाति / अनु जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 <b>@</b>
	संवैधानिक ( अनु.जाति ) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 <b>@</b>
2.	ऐसे अनुसूचित जाति / अनुजन जाति के व्यक्तियों के बारे में लागू है जो एक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में प्रवास कर गए हों ।
	यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती*
श्री /	गेमती/कुमारी *
जो	जिला/ खुनारा
करने	वाले विहित प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्यादिनांकको जारी किया गया ।
# 3	श्री / श्रीमती / कुमारी*
	संघशासित क्षेत्र*में रहते है ।
	हस्ताक्षर
स्थान	**पदनाम राज्य / संघ राज्य क्षेत्र'
दिनां	- 14 II tanam 1047 114 1154 417 ammanana
	या उन शब्दों को हटा दें जो लागू न हों । Ҩ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपतीय आदेश का उल्लेख करें । # उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो ।
<u>jc</u>	ः यहां प्रयुक्त शब्द ''सामान्य रूप से'' निवासकर्ता है का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।
	** अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व. का प्रमाण जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची ।
	में प्रवृत
	जिला मेजिस्ट्रेट / अपर जिला मेजिस्ट्रेट / कलेक्टर / जपायुक्त / अपर जपायुक्त / उप कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट / सब डिविजिनल
	मेजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / तालुका मेजिस्ट्रेट / कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (+प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)
	मुख्य प्रेसिङेन्सी मेजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसिङेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसिङेन्सी मेजिस्ट्रेट
	राजस्य अधिकारी तहसीलवार के पद से नीचे का न हो ।
टिप्प	उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य साधारणतः निवास करते है ।
,5-1	गमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति के आवेदक केवल राजस्व विभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।
	ווט וווט ווער וווער וווער ווער ווער אווער אווער אווער אווער אישר אווער איינער אווער איייער איייער אווער אווער אווער אווער איייער איייער איייער איייער אווער איייער

## अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*	पुत्र / पुत्री / श्री*	गांव / नगर*
जिला/प्रमाग*में राज्य/संघशासित क्षेत्र* निम्नलिखित के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में पहचान की गई है :	के	जाति से संबंधित है जिसकी
• भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/68/93-	बी सी सी (सी) दिनांक 10 सितम	बर 1993 भारत के असाधारण राजपत्र
भाग 1 खंड 1 संख्या 186 दिनांक 13 सितम्बर 1993 में प्रकाशित		
• भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/09/94-	बी सी सी दिनांक 19/10/1994	4 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1
खंड 1 संख्या 163 दिनांक 20/10/1994 में प्रकाशित@		
<ul> <li>भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/7/95 बी संख्या 88 दिनांक 25.05.1995 में प्रकाशित</li> </ul>	सीसी दिनांक 24.05.1995 भारतः	के राजपत्र असाधारण भाग 1 खण्ड 1
• भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/96/94-	भ्री सी दिनांक ०९ मार्च ,1996	। भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1
खंड 1 संख्या 60 दिनांक 11.03.1996 में प्रकाशित@		
• भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/44/96-र्ब	ो सी सी दिनांक ०६ दिसम्बर,१९९	6 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1
खंड 1 संख्या २१० दिनांक 11.12.1996 में प्रकाशित@		
• भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/13/97-र	भी सी दिनांक 03 / 12 / 1997	भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1
खंड 1 संख्या २३९ दिनांक १७/१२/ १९९७ में प्रकाशित@		
• भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/36/99—	/ 94बी सी सी दिनांक 11.12.199	7 भारत के असाधरण राजपत्र भाग 1
खंड 1 संख्या 236 दिनांक 12.12.1997 में प्रकाशित		
• भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/68/98-	बी सी सी दिनांक 27 अक्तूबर,19	999 भारत के असाधारण राजपत्र भाग
1 खंड 1 संख्या 241 दिनांक 27 / 10 / 1999 में प्रकाशित@		
• भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संक	ल्प संख्या 12011/88/98— वि	देनांक 06.12.99 भारत के असाधारण
राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 270 दिनाक 06.12.1999 में प्रकाशि		
• भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संव		सिसी दिनाक 04.04.2000 भारत के
असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 71 दिनांक 04.04.2000		
• भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प		िदिनांक 21 सितम्बर 2000 भारत के
असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 210 दिनाक 21 सितम्ब	_	
• भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प		ो दिनांक 06 सिम्बर 2001) भारत के
असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 246 दिनांक 06 सितम्ब	_	
• भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संक		गेसीसी दिनांक 19.06.2003 भारत के
असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 151 दिनांक 20.06.200	_	
• भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संव		सिसी दिनाक 13.01.2004 भारत के
असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 09 दिनांक 13.01.2004	-	
• भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संक		गेसीसी दिनाक 16.01.2006 भारत के
असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड संख्या 10 दिनांक 16.01.2006 में	_	
• भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प		सी दिनाक 12.03.2007
भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड संख्या 67 दिनांक 12.0	3. <b>2</b> 007 में प्रकाशित <b>(0</b> )	
श्री/श्रीमती/कुमारी*और/या * उसका ?	<sup>k</sup> परिवार सामान्य रूप से	गांव / नगर*
जिला / प्रभाग*राज्य / संघशासित क्षेत्र* जोराज्य / संघशासित क्षेत्र*		
		A
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरक 36012/22/93—स्थापना (एस सी टी ) दिनांक 8/09/93, कार्यालय और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/03/2004— स्था. (आरक्षण) दिन् व्यक्तियों/समुदायों' से संबंधित नहीं है ।	व ज्ञापन संख्या 36033/03/200	४ स्था. (आरक्षण) दिनांक ०९.०३.२००४
	ਵਹਜ਼ਾਮਹ	
		ा नाम
स्थान		प की मोहर सहित)
दिनांक	<b>V</b> 3 <b>W W</b>	• • • •
*जो लागू न हो वे शब्द काट दिए जाएं		

टिप्पणी ः यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्य रूप से' निवासकर्ता है का वहीं अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

- \*\* अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची वही होगी जो अनुसूचित जाति/अन.ज.जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत हैं ।
- @ जो लागू न हों उसे काट दिया जाए ।

## पूर्व सैनिक श्रेणी के अधीन सिविल पदों हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा दिये जाने वाले वचन पत्र का प्रपत्र

मैं जानता हूं कि यह आवेदन पत्र जिससे संबंधित है उससे भर्ती / परीक्षा के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है तो, मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की इस शर्त के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बल से विधिवत रूप से छोड़ दिया गया है / सेवा—निवृत्त / कार्य—मुक्त कर दिया गया है तथा में समय—समय पर यथासंशोधित पूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवा तथा पदों पर पुनः नियोजन) नियमावली 1979 के संदर्भ में पूर्व सैनिकों को देय लाभों के लिए पात्र हूं।

2. मैं यह भी जानता हूं कि मैं इस परीक्षा द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियोजन के लिए पात्र नहीं रहूंगा यदि मैंने इस नियुक्ति से पूर्व किसी भी समय सिविल सेवा (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि शामिल हैं) में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर इस छूट का प्रयोग करके कोई नियोजन प्राप्त किया हो।

		आवेदक के	हस्ताक्षर.
		नाम :	
थान			
देनांक			

## स्वस्थता प्रमाण-पत्र

# (आवेदक द्वारा पुनरीक्षा चिकित्सा जांच की अपील के साथ प्रस्तुत किया जाए)

	प्रमाणित किया जाता है कि श्री	अस्पताल में मेरे द्वारा जांच की गई।	
2 आरक्षक	में अधोहस्ताक्षरी यह जानता हूं कि १ (ट्रेड्समैन) के पद के लिए	थ्रीके कारण चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया है ।	Ť
3.	मेरे विचार से निर्णय में कुछ त्रुटि है		
स्थानः दिनांक		हस्ताक्षर और नाम चिकित्सा परामर्शदाता की मोहर सहित पंजीकरण संख्या (एमसीआई / स्टेट मेडिकल कांउसिल) पता	